

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,

सचिव,

उOप्रO शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

मीरजापुर एवं सोनभद्र ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 27 अप्रैल, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों के आश्रितों को राहत सहायता प्रदान किए जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना संO- 303/1-11-2016-4 (जी)/2016, दिनांक 27.06.2016 एवं अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना तथा अधिसूचना संO-393/1-11-2018-4(जी)/2016, दिनांक 17.10.2018 द्वारा मानव वन्य-जीव द्वन्द्व को राज्य आपदा घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों के आश्रितों को राहत सहायता प्रदान किए जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु 20,00,000/- (रूपये बीस लाख मात्र) की धनराशि जनपद-मीरजापुर एवं सोनभद्र के जिलाधिकारी के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रुO में)

क्रमांक	जनपद का नाम	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत धनराशि	कुल धनराशि
1	2	3	4	5
1	मीरजापुर	20.00	10.00	30.00
2	सोनभद्र	20.00	10.00	30.00
योग		40.00	20.00	60.00
(रूपये बीस लाख मात्र)				

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://raha.upricin/> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/7-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वितीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं 51 के अंतर्गत लेखाधीन 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड 800-अन्य व्यय 06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय 09-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय 42-अन्य व्यय के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)

सचिव।

संख्या- 882 (1) /एक-10-2021-33(36)/2018 टीसी, तदिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उप्र प्रयागराज।
- 2- मण्डलायुक्त, संबंधित जनपद, उप्र।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उप्र लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उप्र।
- 5- संबंधित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)

विशेष सचिव।

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

खीरी, आजमगढ़, सीतापुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 27 अप्रैल, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अग्निकाण्ड से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों के आश्रितों को राहत सहायता प्रदान किए जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के आश्रितों को राहत सहायता प्रदान किए जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 50,00,000/- (रूपये पचास लाख मात्र) की धनराशि जनपद- खीरी, आजमगढ़, सीतापुर के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्रमांक	जनपद का नाम	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत धनराशि	कुल धनराशि
1	2		3	
1	खीरी	15.00	20.00	35.00
2	आजमगढ़	15.00	15.00	30.00
3	सीतापुर	15.00	15.00	30.00
	योग	45.00	50.00	95.00
(रूपये पचास लाख मात्र)				

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2022 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rtd.pricin/> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

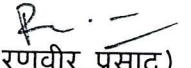
(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/7-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अर्थात् निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तिकांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं 51 के अंतर्गत लेखाधीन 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फंड 800-अन्य व्यय 06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फंड से व्यय 07-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फंड से व्यय 42-अन्य व्यय के नामे डाला जाएगा।

भवदीय,


(रणवीर प्रसाद)

सचिव।

संख्या- 856(1) /एक-10-2021-33(36)/2018 टीसी, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- मण्डलायुक्त, संबंधित जनपद, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 5- संबंधित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(राम केवल)
विशेष सचिव।

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उ०प्र०।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 06 अप्रैल, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अग्निकाण्ड से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में ग्रीष्मऋतु कालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत अग्निकाण्ड की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अग्निकाण्ड से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **रु० 8,95,00,000.00 (रुपये आठ करोड़ पन्चानबे लाख)** की धनराशि अग्रिम रूप से जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु० में)

क्रम सं०	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	2	3
1	चंदौली	10.00
2	सोनभद्र	10.00
3	महोबा	10.00
4	उन्नाव	10.00
5	प्रयागराज	15.00
6	अम्बेडकरनगर	10.00
7	अमरोहा	10.00
8	भदोही	10.00
9	हरदोई	10.00
10	बांदा	10.00
11	बदायूँ	10.00
12	फतेहपुर	15.00
13	सीतापुर	15.00
14	लखनऊ	15.00
15	रायबरेली	10.00
16	फर्रुखाबाद	10.00
17	प्रतापगढ़	15.00
18	सम्भल	10.00
19	फिरोजाबाद	10.00
20	चित्रकूट	15.00
21	बिजनौर	15.00

22	बहराइच	10.00
23	औरैया	10.00
24	अयोध्या	10.00
25	सुल्तानपुर	10.00
26	श्रावस्ती	10.00
27	आजमगढ़	15.00
28	ललितपुर	10.00
29	गोरखपुर	15.00
30	अलीगढ़	15.00
31	हमीरपुर	10.00
32	गाजीपुर	15.00
33	गौतमबुद्धनगर	10.00
34	गोण्डा	10.00
35	कानपुर नगर	10.00
36	बलरामपुर	10.00
37	मैनपुरी	10.00
38	कुशीनगर	10.00
39	कन्नौज	10.00
40	कासगंज	10.00
41	सहारनपुर	15.00
42	बलिया	15.00
43	बाराबंकी	15.00
44	बरेली	15.00
45	जौनपुर	15.00
46	पीलीभीत	10.00
47	आगरा	15.00
48	अमेठी	10.00
49	बागपत	10.00
50	बस्ती	10.00
51	बुलन्दशहर	15.00
52	देवरिया	15.00
53	एटा	10.00
54	इटवा	10.00
55	गाजियाबाद	10.00
56	हापुड़	10.00
57	हाथरस	10.00
58	जालौन	10.00
59	झांसी	15.00
60	कानपुर देहात	10.00
61	कौशाम्बी	10.00
62	लखीमपुर खीरी	15.00
63	महाराजगंज	10.00
64	मथुरा	15.00
65	मऊ	10.00
66	मेरठ	15.00
67	मीरजापुर	15.00
68	मुरादाबाद	15.00
69	मुजफ्फरनगर	15.00
70	रामपुर	15.00

71	संतकबीर नगर	10.00
72	शाहजहांपुर	15.00
73	शामली	10.00
74	सिद्धार्थनगर	10.00
75	वाराणसी	15.00
योग		895.00
(रूपये आठ करोड़ पन्चानबे लाख मात्र)		

- (1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।
- (3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं०-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक: 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक: 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।
- (6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

- (9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-07-अग्निकाण्ड से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या-761 (1)/एक-10-2021-33(46)/2018 टीसी, तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- स्टाप आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 6- समस्त जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक 12 अप्रैल, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से होने वाले प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं०-303/1-11-2016-4(जी)/2016, दिनांक: 27.06.2016 एवं अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना तथा अधिसूचना सं०-393/1-11-2018-4(जी)/2016, दिनांक: 17.10.2018 द्वारा मानव वन्य-जीव द्वन्द्व को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में आंधी/तूफान, आकाशीय बिजली आदि आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन **रु० 9,90,00,000.00 (रु० नौ करोड़ नब्बे लाख मात्र)** की धनराशि जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु० में)

क्रम सं०	जनपद का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	2	3
1	चंदौली	10.00
2	सोनभद्र	20.00
3	महोबा	10.00
4	उन्नाव	10.00
5	प्रयागराज	20.00
6	अम्बेडकरनगर	10.00
7	अमरोहा	10.00
8	भदोही	20.00
9	हरदोई	20.00
10	बांदा	20.00
11	बदायूँ	20.00
12	फतेहपुर	20.00
13	सीतापुर	20.00
14	लखनऊ	20.00
15	रायबरेली	15.00
16	फर्रुखाबाद	10.00

17	प्रतापगढ़	15.00
18	सम्भल	10.00
19	फिरोजाबाद	10.00
20	चित्रकूट	20.00
21	बिजनौर	10.00
22	बहराइच	10.00
23	औरैया	10.00
24	अयोध्या	10.00
25	सुलतानपुर	10.00
26	श्रावस्ती	10.00
27	आजमगढ़	20.00
28	ललितपुर	10.00
29	गोरखपुर	20.00
30	अलीगढ़	10.00
31	हमीरपुर	10.00
32	गाजीपुर	10.00
33	गौतमबुद्धनगर	10.00
34	गोण्डा	10.00
35	कानपुर नगर	10.00
36	बलरामपुर	10.00
37	मैनपुरी	10.00
38	कुशीनगर	10.00
39	कन्नौज	10.00
40	कासगंज	10.00
41	सहारनपुर	10.00
42	बलिया	15.00
43	बाराबंकी	20.00
44	बरेली	15.00
45	जौनपुर	15.00
46	पीलीभीत	10.00
47	आगरा	20.00
48	अमेठी	15.00
49	बागपत	10.00
50	बस्ती	10.00
51	बुलन्दशहर	15.00
52	देवरिया	20.00
53	एटा	10.00
54	इटावा	10.00
55	गाजियाबाद	10.00
56	हापुड़	10.00
57	हाथरस	10.00
58	जालौन	15.00
59	झांसी	20.00
60	कानपुर देहात	10.00
61	कौशाम्बी	10.00
62	लखीमपुर खीरी	20.00
63	महाराजगंज	10.00
64	मथुरा	15.00

65	मऊ	10.00
66	मेरठ	15.00
67	मीरजापुर	20.00
68	मुरादाबाद	10.00
69	मुजफ्फरनगर	10.00
70	रामपुर	10.00
71	संतकबीर नगर	10.00
72	शाहजहापुर	15.00
73	शामली	10.00
74	सिद्धार्थनगर	10.00
75	वाराणसी	15.00
योग		990.00
(रूपये नौ करोड़ नब्बे लाख मात्र)		

- (1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये। **टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।**
- (3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं०-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक: 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक: 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।
- (6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उक्त व्यय वर्तमान **वित्तीय वर्ष 2021-22** के आय-व्यय के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,


(रणवीर प्रसाद)
सचिव।

संख्या- 799 (1)/एक-10-2021-33(36)/2018 टीसी, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- समस्त जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 7- संयुक्त सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।